25/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पत्रावली से सम्बन्धित मूल रिकार्ड शामिल पत्रावली है। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध राजनैतिक द्वेषता के कारण गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौके की भी जांच नही कि गई। अत: तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-8-2016 अपास्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मूल रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल मूल रिकार्ड में पटवारी हल्का रिपोर्ट के अवलोकन से

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

पाया गया। कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 261 किस्म गै.मु. रास्ता तन ग्राम लापुवा में पक्की दुकाने व फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब का कोई उल्लेख नही किया गया है। बल्कि अनुपस्थित दिखाया है जबकि आदेशिका मे उपस्थिति दिखाई है एवं जबाब जो पेश किया जो शामिल पत्रावली है। इससे यह तो स्पष्ट है कि निर्णय पारित करते समय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रिकार्ड का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश कि गई है जिसके पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमे कितने रकबे पर व कहा अतिक्रमण कर रखा है उसमे अंकित नही किया गया है तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जो निर्णय पारित किया है जो एक छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में किया है जो कानूनन गलत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मियाद बाबत जो धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर देरीना समय कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली में मुख्य बिन्दु यह है कि दिनांक 31-8-2016 कि आदेशिका में अपीलान्ट कि उपस्थिति दिखाई जाकर प्रस्तुत प्रस्तुत जबाब का ... है परन्तु दिनांक 31-8-2016 को जो ... निर्णय किया गया है जिसमे ... उल्लेख नही किया है ... अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कि गई है। इस बात से यह तो स्पष्ट है कि पारित निर्णय न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। जो कानूनन गलत है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने पर स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-8-2016 अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके व रिकार्ड की पुनः जांच कर एवं सही नाप जोख किया जावे एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करे। पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय कि एक प्रति तहरीर के साथ भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:30 IST
Reason: SelfAttested